राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.23(2)न्याय/2012 जयपुर, दिनांकः 26.7.16

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत वरिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.11.2012 को आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2011–12 के रिक्त पदों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री ब्रह्म कुमार सोनी (पात्रता सूची क्रमांक 2) विधि सहायक के पर्याप्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाकर इनके लिए 1 पद सुरक्षित रखते हुए इनकी पदोन्नति का प्रकरण स्थगित (डैफर) किया गया था।

श्री सोनी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2011--12 के रिक्तियों विरूद्ध पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 01.07.2016 को आयोजित की गई जिसमें समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री ब्रह्म कुमार सोनी, कनिष्ठ विधि अधिकारी का चयन वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री गौरी शंकर भार्गव के नीचे तथा श्री सुबान खान के ऊपर रहेगी।

श्री सोनी का वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के वेतनमान PB No.-2 (9300-34800) GP No.-14 (4800) में दिनांक 01.04.2011 की रिक्तियों के विरूद्ध वेतन निर्धारण किया जाएगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

26/07/16

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

26.07.16

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव